**न्यायालय जिला कलक्टर, पाली**
**पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस.**

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 2/2024
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024/28

**प्रार्थीगण**

1. पूरकाराम पुत्र श्री रतनाराम
2. केवलराम पुत्र श्री रतनाराम
3. हडमान राम पुत्र श्री रतनाराम
4. ढलाराम पुत्र श्री रतनाराम
5. भीमाराम पुत्र श्री रतनाराम निवासी गण – रोहट तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

1. मृतक रामाराम पुत्र श्री पेमाराम जाति माली, निवासी रोहट के कानूनी वारिशान :–
   1/1. इन्दाराम पुत्र श्री रामाराम
   1/2. नारायण पुत्र श्री रामाराम
   1/3. डूंगरराम पुत्र श्री रामाराम तमाम जातिगण माली निवासीगण – रोहट, तहसील रोहट जिला पाली (राज.)
   1/4. पार्वती पुत्री श्री रामाराम पत्नी श्री बाबूलाल जाति माली निवासी – जवडिया तहसील पाली, जिला पाली (राज.)
   1/5. दरियावदेवी पुत्री श्री रामाराम पत्नी श्री भोमाराम जाति माली निवासी – सांवलता खुर्द तहसील रोहट जिला पाली।
   1/6. खम्मा पुत्री रामाराम पत्नी पारसराम, जाति माली, निवासी जवडिया, तहसील रोहट जिला पाली।
   1/7. मोतीदेवी पुत्री श्री रामाराम पत्नी चेलाराम जाति माली, निवासी – झांझरिया हनुमानजी रोड बेरा झांझरिया सूर्य नगर खारची जिला पाली तहसील पाली जिला पाली।
2. शान्तिदेवी पत्नी हेमाराम जाति पटेल निवासी– पटेलो का बास रोहट, तहसील रोहट जिला पाली।
3. सरकार जरिये तहसीलदार रोहट राजस्थान

जिला कलेक्टर, पाली

**राजस्व विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4)**

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जुन्झाराम परमार
अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/2, 1/3, 1/5 व की ओर से अधिवक्ता श्री मदनदास वैष्णव
सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना

–: निर्णय :–

दिनांक :– 28.03.2025

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत तहसीलदार, रोहट द्वारा ग्राम रोहट के रामाराम पुत्र पेमाराम के पक्ष में आवंटन आदेश दिनांक 23.07.1967 को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जुंझाराम परमार व अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/2, 1/3 1/5 व रेस्पो. संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनदास वैष्णव वक्त बहस उपस्थित हुए। रेस्पो. संख्या 1/4, 1/6 व 1/7 बाद तामिल वक्त बहस न्यायालय में बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित। सरकारी पैरोकार वक्त बहस उपस्थित हुए। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रकरण के संबंध में संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रोहट, तहसील तत्कालीन पाली, हाल रोड के खसरा नम्बर 493 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी सोयम जो अप्रार्थीगण संख्या 1/1 से 1/7 के मृतक पिता रामाराम पुत्र श्री पेमाराम जाति माली के नाम विधिविरूद्व तरीके से आवंटन दिनांक 23.07.1967 को की गई है। उस वक्त मृतक रामाराम भूमिहीन काश्तकार नहीं था। मृतक रामाराम द्वारा राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 101 के तहत प्रपत्र 03 रूल 08 के तहत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस प्रार्थना पत्र के कॉलम नम्बर 1,2,3,4, एवं 5 में मृतक रामाराम द्वारा अपने एवं अपने परिवारजन पिता पेमाराम के नाम से कोई कृषि भूमि नहीं है का उल्लेख किया गया है जबकि वक्त आवंटन मृतक रामाराम के पिता पेमाराम पुत्र श्री दानाजी जाति माली निवासी रोहट के नाम से खसरा नम्बर 118 रकबा 95 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी तथा खसरा नम्बर 538 रकबा 46 बीघा 4 बिस्वा कुल रकबा 141 बीघा 12 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 467 रकबा 4 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 468 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 469 रकबा 50 बीघा 13 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 470 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल रकबा 53 बीघा 11 बिस्वा भूमि में 1/2 हिस्सा यानि 26 बीघा 15 1/2 बिस्वा भूमि यानि 168 बीघा 7 1/2 बिस्वा भूमि मृतक पेमाराम पुत्र श्री दानाजी के नाम से सरहद मौजा हाल तहसील रोहट, जिला पाली में स्थित थी, जिसका हवाला अपने प्रार्थना पत्र में मृतक रामाराम द्वारा नियम 8 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में नहीं दिया गया है। साथ ही वक्त प्रस्तुती प्रार्थना पत्र के समय रामाराम विवाहित था जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र में पति एवं पत्नी दोनो के नाम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जो कानून आज्ञापक था जिसकी पालना नही की गई है तथा आवेदन सिविल प्रक्रिया सहित था 1908 के तहत वाद–पत्र के रूप में प्रस्तुत नही किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/7 के पिता मृतक रामाराम पुत्र श्री पेमाराम जाति माली भूमिहीन काश्तकार नहीं होने से आवंटन नियम 111 के तहत आवंटन के लिये पात्र नहीं था आवंटन नियम 1970 के नियम 13 के तहत आवंटन सलाहकार समिति के परामर्श के सदस्य विधानसभा सदस्य पंचायत समिति प्रधान, पंचायत समिति के विकास अधिकारी कोरम में उपस्थित नहीं थे केवल तत्कालीन सरपंच एवं तहसीलदार ही उपस्थित थे साथ ही तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट मृतक रामाराम के पिता मृतक पेमाराम पुत्र श्री दानाजी के नाम से वक्त आवंटन सरहद मौजा रोहट में 168 बीघा 7 1/2 बिस्वा भूमि खसरा नम्बर 118, 538, 467 468, 469 एवं 470 में होने के सम्बन्ध में कोई हवाला प्रार्थना पत्र पर अपनी रिपोर्ट में नहीं दिया गया और न ही रामाराम के भूमिहीन होने के संबंध में अंकन ही किया गया है। अप्रार्थीगण संख्या 1/1 से 1/3 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवाकर यह जानते हुए कि मौके पर वर्तमान खसरा नम्बर 493/2 की भूमि रास्ते के रूप में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 की खातेदारी भूमि पर आने जाने का तथा कृषि औजार लाने व ले जाने का तथा ग्राम रोहट से अरटिया जाने वाला एकमात्र रास्ता हैं और कदीम से रास्ते के रूप में ही उपयोग में आ रहा है। इसकी जानकारी होते हुए भी अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में बेनामी रजिस्ट्री करवाई जाकर रास्ते की भूमि हडपने साजिश की गई हैं और श्री उपखण्ड अधिकारी के रोहट के न्यायालय में धारा 111, 128 आर.एल.आर.ए के तहत गलत तौर से रास्ते की भूमि हडपने की नियत से साजिश के तौर पर गलत एवं नियम विरूद्व आवंटन के आधार पर अपना नाम दर्ज करवाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिससे भी जैर आवंटन अविधिक होने से

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

निरस्त योग्य है। अतः जैर आवंटन दिनांक 23.09.1967 जो कि ग्राम रोहट के रामाराम पुत्र पेमाराम के पक्ष में किया गया, पूर्णतः नियमों की अनदेखी करते हुए किया गया जो सव्यय खारिज फरमावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में RRD 1990 Page no 465, Writ Petition No 616/2000 of Highcort Page no 1, RRT 2009 (1) page no 65, RRT 2009 (1) page 113, DNJ 2019 Rev page no 49, RRD 2013 page no 174, RRD 2008 page no 829, RRD 2009 page no 64, DNJ 2000 (Raj) page no 438, RRD 1983 page no 319, RRD 1988 page no 90, RRD 2007 page no 99, RRD 2017 page no 393, RRD 2011 page no 384, DNJ 2019 (Rev) page no 49, DNJ 2020 (Rev) page no 108, DNJ 2020 (Rev) page no 141, DNJ 2015 (Rev) page no 81, RRD 1988 page no 663, RRD 1955 page no 750 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने जैर प्रार्थना–पत्र गलत एवं झूठ तथ्यों के आधार पर पेश किया है। जैर आराजी की किस्म बवक्त आवंटन से आज तक कभी रास्ता रही ही नहीं, जो कि वक्त आवंटन से अप्रार्थीगण के कब्जा–काश्तशुदा है व किस्म बारानी सोयम हैं। साथ ही जैर आवंटन को लगभग 57 वर्ष बीत चुके है व खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है जिससे उक्त प्रार्थना–पत्र 14(4) के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र सारहीन, गलत एवं झूठे आधारों का होने से सव्यय खारिज फरमावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में RRD 2000 page no 9, RRD 1999 page no 128, RRT 2021 (2) 1100, RRT 2018 (2) 1007, RRT 2007 (1) 18, RRT 2008 (2) page no 834, RRT 2008 (2) page no 1194, RRD 2006 page no 9, 1997 RRD Page no 195, 1987 RRD page no 235, 1986 RRD page no 137 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

प्रकरण में समायतशुदा बहस व पत्रावली के अवलोकन करने पर यह प्रकट आता है कि आवेदक द्वारा रेस्पोडेण्ट के पूर्वज रामाराम के पक्ष में ग्राम रोहट के खसरा संख्या 493 रकबा 15 बीघा जो कि दिनांक 23.07.1967 को आवंटित की गई थी, उसे निरस्त करवाये जाने हेतु जैर आवेदन नियम 14(4) अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया है तथा उक्त आवेदन में जो प्रमुख आधार लिये गये है वह यह है कि –

1. मिथ्या तथ्य प्रकट कर के जिसमें प्रमुखतया आवेदक का भूमिहीन नहीं होना बताया है।
2. विवादित भूमि का उपयोग हमेशा से रास्ते के रूप में होना अवगत करवाया है।
3. आवंटन बाबत् आवेदन प्रस्तुत नहीं होना, उद्घोषणा नहीं होना तथा अधिपत्य विहिन भूमि की कोई सूची तैयार नहीं होना, कोरम का अभाव होना व आवंटन शर्तों की अपालना होना भी अवगत करवाया है ।

जिला कलेक्टर, पाली

प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निम्नानुसार न्यायिक नजीरे प्रस्तुत की :–

1. **RRD 1990 Page no 465** :- The land alloted was not available under Rule 4 and such an allotment or regularisation was secured by practising active fraud and mispresentation then conferment of khatedari rights shuld not stand in the way of cancellation of such an illegal or void allotment under Rule 14 (4) or the proviso to Rule 20 (2) – The conferment of khatedari rights under the proviso to Rule 14(1) or under Rule 18 Or Under Rule 20(1) is not an absolute bar to the cancellation of allotment or regularisation of land.
2. **RRT 2009 (1) page no 65** :- राजस्थान भू राजस्व (सरकारी भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 – नियम 14 (4) – तलाकशुदा व भूमिहीन होने से प्राप्त आवंटन का निरस्त करना – प्रार्थीया के नाम भूमि नामान्तरित हुई –

राजस्व अपील प्राधिकारी ने आदेश अपास्त किया – राजस्व मण्डल ने राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश को उलटा किया – 'स्व. यू.आर.' के नाम 207 बीघा भूमि दर्ज थी और प्रार्थीया उसकी पत्नी है – तलाक की डिक्री पेश नहीं की – रूढ़िगत तलाक का अभिवाक् – गलत तथ्यों पर आवंटन प्राप्त किया और सही निरस्त किया।

3- **2009 (1) RRT 113 :-** भूमिहीन व्यक्ति भूमि का आवंटन – प्रार्थी को भूमि आवंटित की – कपट तथा दुर्व्यपदेशन द्वारा आवंटन प्राप्त किया –नगर पालिका का कर्मचारी होने के कारण भूमिहीन व्यक्ति नहीं माना जा सकता – आवंटन निरस्त करने में विलम्ब अतात्विक है – निचले तीन न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष – निर्णीत, हस्तक्षेप हेतु मामला नहीं बनता है।

4. **RRD feb 2007 Page no 99 :-** Rajasthan Land Revenue Rules 1970 Rule 14 (4) – Appeal against order of RAA – Held, at the time of allotment, father of allottee was not a landless agriculturist – as per report of Patwari, he was khatedar of 29 bigha 16 biswa land – At the time of allotment, allottee was 6 years 11 months 2 days as per letter dt. 27.09.1989 of the Head master of the Primary school which shows his date of birth as 1.6.1955 and was minor – Allotment obtained comes under mispresentation and fraud and is void ab initio – No question of limitation involved – Such allotment can be set aside at any time – Fact of concealment of notional share and age is clear – Orders of Addl. Collector and R.A.A., confirmed.

5. **RRD 14.07.2017 Page no 393 :-** थनोंराजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, धारा 76 – नियम 14 (4) नियम 1970 का प्रार्थना–पत्र निर्णीत करते हुए कलक्टर ने आवंटन निरस्त किया – अपीलीय न्यायालय ने निर्णय की पुष्टि की – मंडल में द्वितीय अपील – अभिनिर्धारित – कलक्टर ने विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है – दोनों न्यायालयों के निष्कर्ष समवर्ती – अतः हस्तक्षेप वांछित नहीं।

6- **2020 DNJ (Rev) 108 :-** Rajasthan Land Revenue (Allotment of Bihad land) Rules, 1967 – Rule 11(4) – Allotment of Bihad land to the appeallant – Allotment cancelled for non-compliance of conditions – Appeal dismissed – No cultivation found on allotted land – Khasra Girdavari show no crop on the entire allotted land – concurrent findings – Held, Appeal has no force and dismissed.

जिला कलेक्टर, पाली

प्रकरण में अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा निम्नानुसार न्यायिक नजीरे प्रस्तुत की :–

1. **2007 (2) RRT 1430 :-** 40 वर्षों के पश्चात आवंटन निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड़ होगा।
2. **2021 (2) RRT 1100 :-** आवंटन शुदा भूमि में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के बाद आवंटन निरस्त नहीं।
3. **2007 (1) RRT 18 :-** लोकस स्टेण्डाई नहीं होने से प्रार्थना–पत्र पेश करने के लिए अनुमति के अभाव में 14 (4) की कार्यवाही पोषणीय नहीं।
4. **2008 (2) RRT 834 :-** भूमि हस्तानान्तरण के बाद आवंटन निरस्त किया जबकि आवंटी को पहले ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। खातेदारी अधिकार अर्जित होने के 10 वर्ष पश्चात ही आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता केवल काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बेदखल किया जा सकता है।

एवं विपक्षी आवंटी द्वारा आवेदक प्रार्थी के उक्त सभी कथनों का विस्तारपूर्वक खंडन किया गया है।

प्रकरण में हम आवेदक के उज्रात का बिन्दुवार विवेचन करना उचित समझते है। सर्वप्रथम तो हम यह कहना उचित समझते है कि जैर आवंटन वर्ष 1967 में हुआ जबकि प्रार्थी

द्वारा जैर प्रार्थना–पत्र निरस्तीकरण बाबत् वर्ष 2024 में यानि कि लगभग 57 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है जो स्वयं अपने आप में विस्मयकारी है।

1. आवेदक का प्रथम उज्र व उक्त उज्र के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक नजीर कि जैर आवंटन करवाने बाबत् जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया उसमें आवंटी द्वारा मिथ्या तथ्य प्रकट किये है व साथ ही आवंटी के पूर्वजों के नाम दर्ज भूमि व उसके नोशनल शेयर बाबत् कथन किया है परन्तु उक्त तथ्य को प्रमाणित किये जाने हेतु अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है अथवा पिता के जीवनकाल में उक्त भूमि के co-parcener/सहदाई के होने का भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। तद्नुसार मिथ्या कथन के आधार पर आवंटन किया जाना प्रमाणित नहीं होता है।
2. आवेदक का द्वितीय उज्र कि जैर आराजी का उपयोग रास्ते के रूप में होता चला आ रहा है परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी स्वयं ने अवगत करवाया कि बवक्त आवंटन से आज दिनांक तक विवादित भूमि की किस्म रास्ता नहीं थी, जिससे भी यह प्रमाणित नहीं होता कि अप्रार्थी के पूर्वज रामाराम को रास्ते की भूमि का आवंटन किया गया हो।
3. प्रार्थी आवेदक का तृतीय उज्र आवंटन बाबत् आवेदन प्रस्तुत नहीं होना, उद्घोषणा नहीं होना तथा अधिपत्य विहिन भूमि की कोई सूची तैयार नहीं होना परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने उक्त उज्र के समर्थन में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया किया है, जिससे प्रार्थी आवेदक का उक्त कथन भी माना जाने का कोई विधिक आधार नहीं है तथा आवेदक द्वारा इस हेतु कोई नकले मांगी गई हो तथा सक्षम अधिकारी द्वारा इस बाबत् कोई विधिक पूर्ति नहीं की गई हो, ऐसा कोई साक्ष्य रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं है। आवंटी के पक्ष में किये गये आवंटन के समय अपनाई गई प्रक्रिया में कोरम अपूर्ण होने से संबंधित होने के कथन के समर्थन में भी अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है।

इसके अतिरिक्त 56 वर्ष पूर्व किये गये आवंटन में आवंटन शर्तों की पालना नहीं होना माना जाना एवं विशेष रूप से तब जब सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये हो व जैर आराजी का क्रमिक बेचान हस्तानान्तरण किया जा चुका हो, कोई विधिक आधार नहीं है। आवेदक का यह कथन कि जैर आराजी पर उसका पश्चातवृति नाम दर्ज हुआ है परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी का उक्त कथन भी समायपयोगी नहीं है क्योंकि जैर आवंटन विधिवत होना ही प्रमाणित है साथ ही आवेदक द्वारा जैर आराजी का उपयोग रास्ते के रूप में होना अवगत करवाया परन्तु आवेदक स्वयं ने ही बताया कि बवक्त आवंटन से आज दिनांक तक विवादित भूमि की किस्म राजस्व रेकर्ड में रास्ता नहीं है जिससे प्रार्थी का उक्त कथन भी समायपयोगी नहीं है।

समग्र रूप से हम लगभग 56 वर्षों बाद सरसरी, अत्यन्त तकनीकी एवं सारहीन आधारों पर आवेदक द्वारा वर्णित आधारों पर जैर आवंटन को खारिज किये जाने के कोई विधिक एवं तथ्यात्मक आधार नहीं पाते है। अतएव प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) अविधिक एवं सारहीन होने से खारिज कर अप्रार्थी के पूर्वज रामाराम के पक्ष में ग्राम रोहट के खसरा संख्या 493 रकबा 15 बीघा जो कि दिनांक 23.07.1967 को बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली